



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 नवम्बर, 2021
कार्तिक 20, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 38/2021/1214/सात-न्याय-2-2021-201जी-95 टी0सी0

लखनऊ, 11 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-403

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश पेट्री अफेन्सेस (ट्रायल बाई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट) रूल्स, 1997 के नियम 4 के उपनियम (दो) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 11/2020/810/सात-न्याय-2-2020-201जी-95, दिनांक 12 जून, 2020 का आंशिक उपांतरण करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सिफारिश पर निदेश देती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनकी नियुक्तियाँ उक्त उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गयी हैं, के नाम उक्त उच्च अधिसूचनाओं में से तत्काल प्रभाव से निकाल दिए जायेंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम और पता	जिला का नाम
1	2	3
1	श्री रमेश चन्द्र राय, मकान संख्या 151, जगरनाथ जी मन्दिर गली, रासमण्डल, मोहल्ला-रासमण्डल, पोस्ट सदर, जिला जौनपुर-222001	जौनपुर

1	2	3
2	श्री गोरख प्रसाद श्रीवास्तव, ग्राम व पोस्ट सियारापुर, जिला बस्ती (उ०प्र०)-272182	बस्ती

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 38/2021/1214/VII-Nyay-2-2021-201 G-95 T.C., dated November 11, 2021 :

No. 38/2021/1214/VII-Nyay-2-2021-201 G-95 T.C.

Dated Lucknow, November 11, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with sub-rule (ii) of rule 4 of the Uttar Pradesh Petty Offences (Trial by Special Judicial Magistrates) Rules, 1997 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of Government notification no. 11/2020/810/VII-Nyay-2-2020-201G-95, dated June 12, 2020, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to direct that names of the persons mentioned in the Schedule below whose appointments have been cancelled by the said High Court shall be *omitted* from the said notification with immediate effect.

SCHEDULE

Sl. no.	Name and address of the Special Judicial Magistrate	Name of district
1	2	3
1	Sri Ramesh Chandra Rai, H. No. 151, Jagarnath Ji Mandir Gali, Rasmandal, Mohalla Rasmandal, Post Sadar, district-Jaunpur-222001	Jaunpur
2	Sri Gorakh Prasad Srivastava, Village & Post office Siyarapur, district Basti (U.P.)-272182	Basti

By order,
PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv.